न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 20/2019

आरसीएमएस नम्बर– 2019/00052

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट		1 ग्राम पंचायत बाड़सा मार्फत सरपंच, ग्राम पंचायत बाड़सा
2. मांगीलाल पुत्र मोड़ाराम जाति गुर्जर		2 सुआदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी राजकीयावास खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन
3. भुण्डाराम पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार		
4. मंगलाराम पुत्र लालजी जाति गुर्जर		
5. ओमसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति रावणा राजपूत		
6. हिराप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट		
7. फताराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासीगण राजकीयावास खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री महावीरसिंह कुम्पावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 30/8/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बाड़सा द्वारा मिसल संख्या 2/2002–2003 में पारित प्रस्ताव संख्या 9 (2) दिनांक 20.12.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5866 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम राजकीयावास खुर्द में ठाकुरजी का मन्दिर आया हुआ स्थित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत मुख्यालय पर बैठे हुए बिना मौका जांच किए मन्दिर की परिक्रमा एवं सार्वजनिक चौक की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। चौक की भूमि सार्वजनिक भूमि की श्रेणी में आती है, जिसकी पंचायत मात्र केयरटेकर होती है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया हैं, जो अपास्त किए जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया कि किसी भी रूप से पालना नहीं की गई हैं। जिन पंचों की रिपोर्ट तलब की गई है, वे ग्राम राजकीयावास के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं होकर बाड़सा के है, जिनके द्वारा मौका निरीक्षण ही नहीं किया गया तथा सरपंच के दबाव प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक चौक की भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई प्रक्रिया अपनाए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थीगण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे से किसी भी रूप में व्यथित पक्षकार नहीं हैं। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह दिनांक 07.10.2004 को जारी किया गया हैं। इसके 14 वर्ष पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई हैं, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने से खारिज़ योग्य हैं। जैर निगरानी विवादित आज्ञा एवं पट्टे के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष भी वाद विचाराधीन है, इस कारण भी निगरानी हाजा पोषणीय नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना मकान बना हुआ हैं, जिसके पट्टे हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पर विधिवत कार्यवाही करते हुए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से नक्शा तैयार करवाया तथा तीन पंचों से मौका निरीक्षण करवाया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में पंचों ने मौके पर मकान निर्मित होना जाहिर किया। इस पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराज़ी न तो सार्वजनिक चौक भूमि एवं न ही मन्दिर की परिक्रमा की भूमि। निगरानीकर्ता द्वारा जो आधार लिए गए है, वे आधार सुखाधिकार से सम्बन्धित है, जिसके निर्धारण का न्यायालय हाजा को अधिकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाड़सा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी मिसल गुम हो चुकी है, जिसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई हैं। इसके साथ ही मिसल की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी हाजा में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे को सार्वजनिक चौक एवं मन्दिर की परिक्रमा की भूमि पर निर्मित होना बताते हुए पट्टे को खारिज़ कराने का अनुतोष चाहा हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रक्रिया का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बाड़सा के समक्ष अपने 50 वर्ष पूर्व निर्मित मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। जिस पर आवेदन शुल्क एवं नक्शा शुल्क जमा होने पर दिनांक 23.05.2002 को मिसल कायम की जाकर भूमि का नक्शा बनाने हेतु सचिव को निर्देशित कियागया। उक्त आदेश की पालना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में सचिव द्वारा दिनांक 06.09.2002 को वांछित भूमि का नक्शा मौका तैयार कर पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.09.2002 को तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना मकान निर्मित होना जाहिर किया तथा अस्थाई तौर पर विक्रय विलेख जारी कराने का निवेदन किया। पंचो द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पंचायत कोरम के प्रस्ताव संख्या 4 (2) दिनांक 21.09.2002 के जरिये एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का आदेश पारित किया। इस आदेश की पालना में दिनांक 21.09.2002 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया, जो मौतबिरान की उपस्थिति में चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पंचायत कोरम के प्रस्ताव संख्या 4 (2) की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 को अपने कब्जे के समर्थन में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने कब्जे के समर्थन में हिराराम पुत्र हुकमाराम तथा लालाराम पुत्र जावताराम ने बयान कलमबद्ध करवाए, जिन्होने अपने बयानों में जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का करीब 50 वर्ष पुराना मकान बना होना स्वीकार किया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत कोरम के प्रस्ताव संख्या 9 (2) दिनांक 20.12.2002 के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। अब जहाँ तक जैर निगरानी विवादित आराजी मन्दिर की परिक्रमा अथवा सार्वजनिक चौक की होने का प्रश्न है, तो निगरानी हाजा में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो इस तथ्य का समर्थन करता हो कि जैर निगरानी विवादित आराजी ठाकुरजी के मन्दिर की परिक्रमा अथवा सार्वजनिक चौक की भूमि हो। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का जो आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत बाड़सा द्वारा मिसल संख्या 2/2002–2003 में पारित प्रस्ताव संख्या 9 (2) दिनांक 20.12.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5866 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली